सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 42/2015

श्री सुरेश कुमार बनाम श्री नारायणलाल व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाब्ता दीवानी जो वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 12.05.2017 पर प्रस्तुत हुआ है।

आदेश दिनांक 11-5-18

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त पारित निर्णय व डिक्री में अन्य खसरा नम्बरान के साथ ग्राम दांदोला का ख.नं. 2887/2 रकबा 00–02–04 व ख.नं. 2883/2 रकबा 00–19–02 बीड़ा अंकित किया गया है जो कि बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 2887 में से कुछ भूमि रकबा 00–01–06 व ख.नं. 2883 में से कुछ भूमि रकबा 00–00–13 जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय के नाम अवाप्त होकर बटा नम्बर 2887/2 व 2883/2 बना है एवं खातेदारी में शेष ख.नं. 2887/1 रकबा 00–02–04 व ख.नं. 2883/1 रकबा 00–19–02 रहा है। मूल खसरा नम्बर 2887 का रकबा 00–03–10 व ख.नं. 2883 रकबा 01–02–10 था। चूंकि उक्त खसरा नम्बर 2887/2 रकबा 01–01–06 व ख.नं. 2883/2 रकबा 00–00–13 सड़क में अवाप्त हो चुका है जिसका अंकन प्रारंभिक डिक्री में संहवन से खसरा नम्बर 2887/2 व 2883/2 हो जाने से डिक्री में भी दर्ज हो गया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थियों की खातेदारी भूमि ख.नं. 2887/1 रकबा 00–02–04 व ख.नं. 2883/1 रकबा 00–19–02 है। पश्चातवर्ती अंकन होने के कारण दिनांक 12.05.2017 को जारी अंतिम निर्णय व डिक्री में खसरा नम्बर 2887/2 रकबा 00–02–04 व ख.नं. 2883/2 रकबा 00–19–02 के स्थान पर खसरा नम्बर 2887/1 रकबा 00–02–04 व ख.नं. 2883/1 रकबा 00–19–02 दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी सुरेश को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.06.2016 को प्रारंभिक डिक्री पारित की जाकर बंटवारा प्रस्ताव तलब किये गये थे। उक्त प्रारंभिक डिक्री अनुसार तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.05.2017 को बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है।

तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट में कथन किए हैं कि उक्तानुसार बटा नम्बर दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ग्राम दांदोला की जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 4 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 825 दिनांक 06.07.2015 भूमि अवाप्ति से खसरा नम्बर 2882/2 रकबा 00–05–00, 2883/2 रकबा 00–00–13, 2886/2 रकबा 00–04–09, 2887/2 रकबा 00–01–06, 2888/2 रकबा 00–01–05 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के नाम अंकन स्वीकार हुआ, शेष ख.नं.2882/1 रकबा 02–08–00, 2883/1 रकबा 01–01–17, 2886/1 रकबा 00–10–01, 2887/1 रकबा 00–02–04, 2888/1 रकबा 00–02–05 यथावत रहने का अंकन हैं। तहसीलदार ब्यावर द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया है उसमें खसरा नम्बर 2883/2 रकबा 00–19–02 तथा ख.नं. 2887/2 रकबा 00–02–04 संहवन से अंकित किया है जबकि वास्तविकता में इसके स्थान पर खसरा नम्बर 2883/1 रकबा 00–19–02 तथा ख.नं. 2887/1 रकबा 00–02–04 अंकित किया जाना चाहिये था जो तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट अनुसार भी उचित बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 में अंकित खसरा संख्या 2883/2 रकबा 00–19–02 तथा ख.नं. 2887/2 रकबा 00–02–04 के स्थान पर खसरा नम्बर 2883/1 रकबा 00–19–02 तथा ख.नं. 2887/1 रकबा 00–02–04 पढ़े जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश को अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 का भाग समझा जावे।

आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर